न्यायालय उपजिला कलैक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:— 07/2021

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अनूपगढ़

—–प्रार्थी

बनाम

1. अभिमन्यु सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 7 आदर्श कॉलोनी अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
2. किशनाराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी चक 87 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
3. राजुराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी चक 87 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।
4. सोनाराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी चक 87 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2)
राजस्थान जनरल कलोनी कण्डीशन

दिनांक :— 05.02.2024

— :: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8 (2) के अन्तर्गत पेश कर चक 78 जीबी का मु.नं. 66 प.नं. 288/429 का कि.नं. 18 के 0.253 हैक्टर, कि.नं. 19/0.253 हैक्टर, कि.नं. 20 के 0.253 हैक्टर, कि.नं. 21 के 0.253 हैक्टर, कि.नं. 22 के 0.253 हैक्टर, कि.नं. 23 के 0.253 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.518 हैक्टर कृषि भूमि सॉलिडवेस्ट मेनेजमेंट रूल्स के नियम 12 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत वेस्ट मेटिरियल्स डिस्पोजल के लिए आवंटन किया गया जिसकी ई—चालान द्वारा राशि जमा करवाई जा चुकी है। जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

प्रार्थी नगरपालिका को उक्त भूमि प्रार्थी नगरपालिका अनूपगढ़ के नाम से चक 78 जीबी का मु.नं. 66 प.नं. 288/429 के कि.नं. 18/0.253, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253 के कुल 1.518 हैक्टर पर आने जाने व सॉलिड वेस्ट मैटिरियल ले जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। आने जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थी नगरपालिका अनूपगढ़ को आवंटित भूमि पर सॉलिड वेस्ट मैटिरियल ले जाने हेतु सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। प्रार्थी नगरपालिका अनूपगढ़ उक्त भूमि (रास्ता की भूमि) की ऐवज में वर्तमान डीएलसी रेट के अनुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण का पता सही नहीं होने के कारण नोटिस तामील नहीं हो पाये। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु समाचार पत्र में नोटिस साया कर/प्रकाशन कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं इसलिये एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ से प्रस्तावित भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट ली गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक : राजस्व/2021/797 दिनांक 17.08.2021 के द्वारा मुताबिक जमाबंदी चक 78 जीबी संवत् 2076—2079 खाता संख्या 131 प.न. 288/429

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मु.न. 66 के कि.न. 18 ता 23 सालम कुल 1.518 है. नाली दोयम भूमि नगरपालिका अनूपगढ़ के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है व प.न. 289/429 मु.न. 67 का कि.न. 13/2 का 0.126, 14–15 का 0.506, 16 ता 25 का 2.530 कुल 3.162 है. नाली दोयम कृषि भूमि अभिमन्यु पुत्र त्रिलोकचन्द जाति अरोड़ा सा. देह खातेदार रहन हिस्सा 3.688 है. ओ.बी.सी. शाखा अनूपगढ़ दर्ज रिकॉर्ड है व चक 87 जी.बी. सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 12 प.न. 290/429 मु.न. 58 के कि.न. 1/0.228, 2 ता 9/2.024, 10/0.228, 11/0.228, 12 ता 19/2.024, 20/0.228, 21/0.228, 22 ता 25/1.012 है. कुल 6.200 है. नाली दोयम किशनाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 2273/6200 राजुराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 827/3100, सोमाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 2273/6200 जाति बावरी सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चक 78 जी.बी. के प.न. 288/429 मु.न. 66 के कि.न. 18 ता 23 सालम कुल 1.518 है. नाली दोयम तक पहुंचने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता चक 87 जीबी के प.न. 290/429 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 के प्रत्येक में दो–दो बिस्वा स्वीकृत गै०मु० रास्ता है। चक 87 जीबी के प.न. 290/429 के कि.नप. 21 ता 25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा व चक 78 जीबी के प.न. 298/429 कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रार्थी नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आवंटित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता 2–2 बिस्वा स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है जबकि प्रार्थी शहर का कचरा ले जाने के लिये ट्रेक्टर ट्रॉली मुड़ने के लिये रास्ता चाहिये अतः दो–दो बिस्वा के स्थान पर **चार–चार बिस्वा** रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजातों पर मनन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त रास्ता स्वीकृत करने उपरान्त प्रस्तावित रकबा पर सॉलिड वेस्ट मैटिरियल हेतु साधनों की आवागमन की सुविधा होगी व तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। **राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8 (2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिये रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना एफ 4 (5) उपनि/2006 दिनांक 11.05.2012** के अन्तर्गत आमजन की सुविधा हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

अतः नगरपालिका द्वारा सॉलिड वेस्ट मैटिरियल हेतु साधनों के आवागमन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए चक 87 जीबी के प.न. 290/429 के कि.न 21 ता 25 प्रत्येक में **दो–दो** बिस्वा व चक 78 जीबी के प.न. 298/429 कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में **दो–दो** बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

चक 87 जीबी के प.न. 290/429 के कि.न 21 ता 25 प्रत्येक में **दो–दो** बिस्वा व चक 78 जीबी के प.न. 298/429 कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में **दो–दो** बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता के रूप में स्वीकुतशुदा भूमि सम्बन्धित काश्तकारान के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार अनूपगढ़ रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक **05.02.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़